न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-425RAAJodhpur2022-162RTA223 Sayari ors Vs Chenaram etc

01. सायरी पत्नी धोकलराम
02. ऊनकी पत्नी चम्पालाल
जातियान् कुम्हार, निवासीगण- पटेलनगर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. चैनाराम पुत्र धोकलराम
2. हरेन्द्र पुत्र चैनाराम
3. अशोक कुमार पुत्र भींयाराम
   समस्त जातियान् कुम्हार, निवासीगण- पटेल नगर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
5. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक शाखा हरियाढाणा।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 अगस्त 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 86/2020 चैनाराम बनाम सायरी इत्यादि

उपस्थित-

श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री अशोक कुमार पटेल, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या तीन
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 17 जुलाई 2023

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 86/2020 चैनाराम बनाम सायरी इत्यादि में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 अगस्त 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 29 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1566 रकबा 1.2863 हैक्टेयर, ,खसरा नं. 1567 रकबा 1.1438 हैक्टेयर, खसरा नं. 1574 रकबा 0.7766 हैक्टेयर, खसरा नं. 1575 रकबा 0.9789 हैक्टेयर, खसरा नं. 1578 रकबा 1. 2135 हैक्टेयर, खसरा नं. 1581 रकबा 1.3591 हैक्टेयर, खसरा नं. 1582 रकबा 1.6827 हैक्टेयर, खसरा नं. 1585 रकबा 1.2135 हैक्टेयर, खसरा नं. 1587 रकबा 1.2863 हैक्टेयर, खसरा नं. 1948 रकबा 1.3349 हैक्टेयर, खसरा नं. 1960 रकबा 0.9384 हैक्टेयर, खसरा नं. 1964 रकबा 0.5339 हैक्टेयर, खसरा नं. 1967 रकबा 0.6068 हैक्टेयर, खसरा नं. 1971 रकबा 1.2135 हैक्टेयर, खसरा नं. 1977 रकबा 0.2751 हैक्टेयर कुल खसरा 15 कुल रकबा 16.1233 हैक्टेयर ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा के संबंध में अपीलांट्स के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03 अगस्त 2022 को वादी/रेस्पो. का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। रेस्पोडेंट द्वारा दावे के सम्मन के साथ में दावे की प्रति नही भेजी गई थी, इसके लिए अपीलांट की ओर से दावे की प्रति दिलाने का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निवेदन किया गया था। दावे की प्रति दिये बिना ही जवाबदावा बंद करने में कानूनी भूल की है। रेस्पोडेंट द्वारा अपनी शहादत में अशोक कुमार का शपथ-पत्र पेश किया गया था, जिस पर जिरह का अपीलांट को कोई अवसर नहीं दिया गया था, बिना जिरह के रेस्पोडेंट की गवाह को कंसीडर कर निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट के साक्ष्य शपथ-पत्र पेश कर सीधा ही पत्रावली को बहस में नियत कर दी गई, जबकि अपीलांट को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया था। वादग्रस्त भूमि में जोगी पुत्री श्री भींयाराम जो रेकर्डेड खातेदार है, उसको दावे में पक्षकार नहीं बनाया, जबकि कानूनन बंटवाड़े के दावे में हर सहखातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, बिना पक्षकार बनाये दावा चल नहीं सकता। इस कानूनी बिंदु पर गौर किये बिना निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कानूनी भूल की है जो निरस्त होने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 अगस्त 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावें।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर नियमानुसार सम्मनों की तामील करवायी गयी तथा अपीलांट्स को जवाब के पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलांट्स द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा नियमानुसार उनका जवाब बंद किया गया। अपीलांट्स को जिरह का बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा जिरह नहीं की गई। अपीलांट का कथन है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कि जोगी पुत्री भीयाराम को पक्षकार नहीं बनाया गया, क्योंकि जोगी का देहांत हो चुका है, जिसके वारिसान् एवं उतराधिकारी वादी/रेस्पोडेंट व अपीलांट्स/प्रतिवादी है। इस कारण फौत हुए खातेदार को पक्षकार कानूनी रूप से नहीं बनाया जा सकता है एंव फौत हुए व्यक्ति के विरूद्ध किसी भी प्रकार का निर्णय पारित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट्स के हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन/हस्तक्षेप नहीं किया गया है, जिससे उनके अधिकारों पर कुठाराघात हो। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पारित किये जाने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। वकील रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.डी.2014 पेज 302 की न्यायिक नजीर पेश की।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तावित करने हेतु तहसील बिलाड़ा को निर्देश जारी किये है। विचाण न्यायालय द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज अपीलांट्स के हिस्से में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया हैं तथा न ही अपीलांट्स द्वारा राजस्व

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेकर्ड में दर्ज हिस्से के गलत होने अथवा हिस्से के बारे में विवाद होने का तथ्य उठाया है।

अपीलांट का उज्र है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को जवाब प्रस्तुति एवं वादी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य शपथ-पत्र पर जिरह किये जाने का मौका नहीं दिया गया है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2021 से 04.04.2022 तक बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपीलांट्स की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 23.05.2022 को अपीलांट्स का जवाब बंद किया गया, जिससे अपीलांट्स का यह उज्र समाप्त हो जाता है कि उन्हे जवाब का अवसर नही दिया गया। जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि आवश्यक पक्षकार जोगी पुत्री भीयाराम को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया, इस संबंध में रेस्पोडेंट्स के तर्क कि जोगी पुत्री भींयाराम फौत हो चुकी है तथा फौत व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है, से अदालत हाजा सहमत है।

आर.आर.डी.2014 पेज 302 में उद्धरित है कि मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा पक्षकारों के कृषि भूमि के अभिलिखित खातेदार-काश्तकारों के आधार पर पारित की गई प्राथमिक डिक्री किसी अवैधता एवं दुर्बलता से ग्रसित नहीं है। हस्तगत प्रकरण में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारान् के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण के तथ्य एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य समान होने से हस्तगत प्रकरण पर लागू हैं। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई एवं राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किये जाने से अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय में किसी भी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 86/2020 चैनाराम बनाम सायरी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 अगस्त 2022 यथावत रखे जाते है। तदुनसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.07.23

{मंगलाराम पूनिया}
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
01. सायरी पत्नी धोकलराम 02. ऊनकी पत्नी चम्पालाल जातियान् कुम्हार, निवासीगण- पटेलनगर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।	ब ना म	1. चैनाराम पुत्र धोकलराम 2. हरेन्द्र पुत्र चैनाराम 3. अशोक कुमार पुत्र भींयाराम समस्त जातियान् कुम्हार, निवासीगण- पटेल नगर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर। 4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर। 5. शाखा प्रबंधक, यूको बैंक शाखा हरियाढाणा।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 अगस्त 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व मूल वाद संख्या 86/2020 चैनाराम बनाम सायरी इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 17 जुलाई 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत मिनजानिब अपीलाण्ट, श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 86/2020 चैनाराम बनाम सायरी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 03 अगस्त 2022 यथावत रखे जाते है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 17 जुलाई 2023 को जारी किया गया।

17-07-2023

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील		1. स्टाम्प वकालातनामा	

2. स्टाम्प वकालतनाम		2. स्टाम्प अर्जी	
3. इजराय हुक्मनामा		3. इजराम हुक्मनामा	
वकील फीस बाबत		4. मेहनताना वकील	
मीजान		मीजान	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
जोधपुर

दि॰ 17.07.2023

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर